BL

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2018
ग्राम पंचायत...कुम्हारिया...दिनांक 12/6/18

12/6/18

पुकार पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण उप. / अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 अनु. / अधिवक्ता प्रकोष्ठ अप्रार्थी उप. / फैरोकार सरकार अ. / प्रार्थीगण ने बैंच सदस्यों के समक्ष प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रकोष्ठ अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किए जाने का अनुरोध किया। फैरोकार सरकार ने जवाब पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद सिद्ध करने का भार वादीगण पर ही होना अंकित कराया साथ ही प्रकोष्ठ अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित पंजीयन दस्तावेजात को विधिसम्मत होना बताया। बैंच सदस्यों द्वारा उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं मजमें आम में रायशुमारी की गई तो प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आनुतोष योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र U.J. 312 [illegible] खारिज किए जाने का निर्णय लिया गया। अतः प्रार्थना पत्र U.J. 312 [illegible] अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

अध्यक्ष लोक अदालत उपखण्ड-भिनाय	सदस्य लोक अदालत उपखण्ड-भिनाय	सदस्य लोक अदालत उपखण्ड-भिनाय

Scanned with CamScanner